न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मन मोहन मीना , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2022

उनवान

1. सीताराम
2 गिरीराज } पि0 भैरू
3 गोपाल
4 रमेश
5 सुभाष } पि0 प्रभूदयाल
6 जगदीश
7 रिछपाल } पि0 नाथूराम
8 मेवा पत्नि स्व0 कालूराम
9 रामचन्द्र पुत्र कालूराम
10 रामफूल पुत्र कालूराम समस्त जाति गुर्जर निवासी स्वामीपुरा तहसील शाहपुरा

बनाम

1 कल्याण
2. गिरधारी
3 रामजीलाल
4 सुरज्ञान } पि0 श्योदान
5 श्रीमती माली पत्नि श्योदान
6 कैलाश
7 छीतर } पि गंगाराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी स्वामीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
8 राजस्थान सरकार भू धारक जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
9 शाखा प्रबंधक एच डी एफ सी बैंक शाखा मनोहरपुर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक 25/07/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि आ0,ख0नं0 369/1174 रकबा 0.14 है0, वाके ग्राम स्वामीपुरा तहसील शाहपुरा स्थित है जिसमे प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा ख0नं0 368 रकबा 1.24 है0, 370 रकबा 0.05 है0, वाके ग्राम स्वामीपुरा तहसील शाहपुरा स्थित है जिसकी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में जाने आने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 369 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 375 गै0मु रास्ता की सीमा तक ख0नं0 368 व 370 में से 4 मीटर चौडाई की भूमि रास्ते हेतु आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई तथा तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । अप्रार्थीगण सं0 1से 7 की ओर से श्री रविशंकर अग्रवल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया । अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया ।अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया गया कि ख0नं0 375 गै0मु0 रास्ता स्वामियों के चौराहे से पूर्व की तरफ हाल आराजी ख0नं0 430 गै0मु0 रास्ता जो पूर्व में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल ख0नं0 431 तक कच्चा रास्ता है जिसके दक्षिण में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि ख0नं0 368, 369, 370 भी स्थित है प्रार्थीगण का यह कथन सत्य नहीं है कि ख0नं0 369/1174 में पहुँच के लिए ख0नं0 369 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे ख0नं0 370 व 368 से होकर कदीमी रास्ता ख0नं0 375 से जुडा हुआ हो तथा ख0नं0 369/1174 में पहुँचने के लिये आम रास्ता हो अन्य रास्ता नहीं हो बल्कि वस्तु स्थिति यह है कि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि हाल ख0नं0 368, 370 में से हाल आराजी ख0नं0 368, 370 में से हाल ख0नं0 375 तक प्रार्थीगण का कोई कदीमी रास्ता कभी भी नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने जाहिर किया कि तथाकथित प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क की धारा 1 की उपधारा 1 व 2 की परिभाषा में नहीं आने से प्रार्थना पत्र मय सव्यय खारिज किया जावे । वकील अप्रार्थी ने मौका रिपोर्ट रास्ता बाबत मंगवाये जाने का भी प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि ख0नं0 364 गै0मु0चाह से पश्चिम की तरफ स्थित स्वामीपुरा डामर सडक से पूर्व की तरफ स्थित गै0मु0चाह 364 के दक्षिणी तरफ स्थित हाल ख0नं0 1165/363 जो प्रार्थी रिछपाल के भाई ग्यारसीलाल की खातेदारी भूमि है के उत्तरी सींव के सहारे सहारे होकर पूर्वी तरफ स्थित ख0नं0 1172/362 जो कि प्रार्थी के भाई ग्यारसीलाल की खातेदारी भूमि है के उत्तरी सींव के सहारे होकर इससे उत्तरी तरफ अप्रार्थी की काश्त व खातेदारी भूमि ख0नं0 368 की दक्षिणी पूर्वी सींव के सहारे होकर ख0नं0 369/1174 तक आता है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 369/1174 में आने जाने का द्वितीय विकल्प जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न मानचित्र में लालरंग से

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

दर्शित है जो पश्चिमी की तरफ स्थित स्वामीपुरा डामर सडक से पूर्व की तरफ स्थित हाल आराजी ख0नं0 361 गै0मु0नाला जो कि रास्ते के रूप में चला आ रहा है से होकर आगे पूर्व की तरफ हाल ख0नं0 434 गै0मु0 रास्ता प्रार्थी जगदीश की भूमि ख0नं0 1173/362 के मध्य तक जाकर पूर्व की तरफ जाता है तथा जगदीश की भूमि के मध्य तक ख0नं0 434 गै0मु0 रास्ता जाता है वहां से उत्तर की तरफ प्रार्थी जगदीश की भूमि 1173/632 की पूर्वी सीमा के अन्दर से होकर उत्तर की तरफ प्रार्थी रिछपाल के भाई ग्यारसीलाल की भूमि ख0नं0 1172/362 की पूर्वी सींव के अन्दर से होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 368 की दक्षिणी पूर्वी सींव के सहारे प्रार्थीगण की भूमि तक रास्ता जाता है। इस प्रकार तहसीलदार से मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश प्रदान करें । वकील अप्रार्थीगण ने आपत्ति प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट का पेश कर आपत्ति जाहिर की कि बिना सूचना के मौका रिपोर्ट तैयार की गई है तथा तहसीलदार शाहपुरा स्वंय मौके पर नहीं गये तथा न ही उनके द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है तथा अपने मौका रिपोर्ट मंगाये जाने हेतु पेश प्रार्थना पत्र में उल्लेखित विवरण को अंकित करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट मंगाये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

वकील प्रार्थी ने मंगवाये जाने मौका रिपोर्ट का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते ख0नं0 364 चाह/ कुआ की गुण बनी हुई होना तथा ख0नं0 364, 1165/363 व 1172/ 362 में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं होना एवं आराजी ख0नं0 361 गै0मु0नाला जो जंगल में होना तथा रास्ता के रूप में कभी कोई उपयोग नहीं होना जाहिर करते हुए ख0नं0 369/1174 के आसपास नहीं होना बताया । प्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी जाहिर किया कि तहसीलदार शाहपुरा से मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा पुनः रिपोर्ट मंगाये जाने का अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि प्रार्थीगण की जोत ख0नं0 369/1174 में पहुँच के लिए कोई प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता सुगम व सरल तथा कम दूरी होने से उपयुक्त है। वकील प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट आपत्ति का जवाब पेश करते हुए जाहिर किया कि तहसीलदार व पटवारी हल्का के द्वारा अप्रार्थीगण को सूचित कर सभी पक्षकारों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की है तथा अप्रार्थीगण जानबूझकर हस्ताक्षर करने से मना किया है । ख0नं0 364 चाह कुआ की भूमि है तथा खसरा नम्बर 1165/363 व 1172/362 में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं होना जाहिर करते हुए अप्रार्थीगण के द्वारा समस्त इबादत मनघडन्त अंकित करना जाहिर करते हुए मौका रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा द्वारा तैयार कर उनके कार्यालय जारी होकर पेश हुई है। अप्रार्थीगण की आपत्ति मौका रिपोर्ट प्रार्थना पत्र खाजिर किया जावे ।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को तथा अपने जवाब प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट मंगाये जाने व आपत्ति मौका रिपोर्ट में दिये गये तथ्यों की ओर ताईद करते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थीगण जानबूझकर झूठे तथ्य पेश करे रहे है जबकि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सरल व कम दूरी का होने के कारण प्रार्थीगण की जोत में पहुँच हेतु रास्ता दिये जाने का निवेदन किया । वकील अप्रार्थीगण ने इसका खण्डन करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र व पेश किये गये आपत्ति प्रार्थना पत्रों का वर्णन करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने उभय पक्ष की बहस तथा पेश नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पत्रावली एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट की गहनता से परीक्षण करने पर पाया गया कि मौका रिपोर्ट गिरदावर हल्का के द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति में बनाई गई है तथा अप्रार्थीगण ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया है। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 5.10.2020 में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक स्तर अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा तैयार की जानी चाहिए । विचाराधीन प्रकरण में मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक खोरी के द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार की गई है तथा मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण के द्वारा वांछित रास्ते में पुख्ता मकानात बने होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को प्रस्तावित नहीं किया जाकर जो अन्य रास्ता हेतु उसी खसरा नम्बर में से प्रस्तावित किया जाकर जाहिर किया गया कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई कम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया जाना उपयुक्त नहीं होना बताया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट तथा उभय पक्ष की बहस से अप्रार्थीगण का मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने व आपत्ति मौका रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं होने से पेश प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने व आपत्ति मौका रिपोर्ट का खारिज किया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 375 गै0मु0 रास्ता से ख0नं0 368 रकबा 1.24 है0 में से 0.0264 है0,ख0नं0 370 रकबा 0.0500 है0 मे से 0.0040है0 तथा ख0नं0 372 रकबा 0.26 है0 मे से 0.0100 है0 कुल 0.0404 है0 भूमि जिसकी 4 मीटर चौडाई में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका के रिपोर्ट संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित लाल स्याही से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से भूमि की कीमत आकलन कर डीएलसी दर की दो गुना राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदार /अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवाय चक गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट निर्णय का जुज रहेगा । तहसीलदार शाहपुरा को निर्णय की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 05/07/2022 को सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर